न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस

विभागीय अपील संख्या 11/2019

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
नवीन शेखावत, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार ओसियॉ		जिला कलेक्टर जोधपुर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.(सी–18) 291/16–17 सीसीए/स्था/2016/304 दिनांक 05.10.2016 बाबत परिनिन्दा का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः––

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, जोधपुर अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 09 दिसम्बर 2019

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.10.2016 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत अपीलान्ट को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर यह अपील राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24.07.2019 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जोधपुर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. तत्पश्चात अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपीलाधीन दण्डादेश दिनांक 5.10.2016 को प्रसारित किया गया है उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा निर्धारित समयावधि में तहसीलदार ओसियॉ के मार्फत प्रस्तुत कर दी गई थी, परन्तु जिला कार्यालय के द्वारा मुझे इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही

की गई की कोई सूचना नहीं दिया। तब मेरे द्वारा पुनः उक्त आदेश को पुरावलोकन हेतु निवेदन किया जिस पर जिला कार्यालय द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी/उप विधि परामर्शी की टिप्पणी पर सम्भागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष किये जाने की सूचना दी गई। तब मेरे द्वारा सम्भागीय आयुक्त महोदय को सम्बोधित करते हुए यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं

4. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट जिला रसद अधिकारी प्रथम, जोधपुर के कार्यालय में कार्यरत रहने के दौरान अपीलान्ट का स्थानान्तरण जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.2.2016 के द्वारा तहसील कार्यालय ओसिया में कर दिया जिस पर जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 8.3.2016 के द्वारा अपीलान्ट को कार्यमुक्त करने पर दिनांक 11.3.2016 को तहसील ओसियॉ में कार्य ग्रहण कर लिया।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश की पालना में कार्यमुक्त कर दिये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी प्रथम, जोधपुर में अपीलान्ट के पास में रहे कार्य पत्रावलियों का चार्ज दिया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसलिये जिला रसद अधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक 14.3.2016 को कार्यालय का चार्ज देने हेतु निर्देश प्राप्त होने पर अपीलान्ट के द्वारा रसद कार्यालय में उपस्थित दी। तत्पश्चात रसद कार्यालय के आदेश दिनांक 7.4.16 के द्वारा दिनांक 14.3.106 से दिनांक 7.4.2016 तक की उपस्थिती प्रमाण पत्र के साथ अपीलान्ट को पुनः तहसील कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए तहसील में उपस्थित देने के निर्देश दिये गये जिसकी पालना में आगामी कार्यदिवस दिनांक 11.4.2016 को तहसील कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उक्त दोनों आदेशों की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा उच्चाधिकारियों के द्वारा अलग–अलग आदेशों की पालना नियमानुसार समय पर अनुपालना पूर्ण की गई। उसके उपरान्त भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत अपीलान्ट को ज्ञापन दिनांक 27.5.2016 को जारी कर निम्नानुसार आरोप आरोपित कियाः––

vkjki l[;k ,d%& यह है कि आप श्री नवीन शेखावत, लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर तहसील कार्यालय ओसिया में कार्यरत है। इस कार्यालय के आदेश प. (सी–2)स्था/16/1045–1120 दिनांक 29.02.2016 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कर कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर से तहसील कार्यालय ओसियॉ में पदस्थापित किया गया। आपके द्वारा तहसील कार्यालय ओसियॉ में कार्यग्रहण करने के पश्चात पुनः तहसील कार्यालय ओसियॉ में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की हैं

राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्तमान में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2016 के तहत ग्रामों में शिविर आयोजित किये जा रहे है। जिसके कारण स्टाफ की अति–आवश्यकता है। फिर भी आपके द्वारा तहसील कार्यालय ओसियॉ में राजकीय कार्य सम्पादन हेतु अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं कर रहे है जो उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। आपका उक्त कृत्य लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत रहते हुए राजकार्य के प्रति उदासीनता, शिथिलता, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने व गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।

अपीलान्ट की ओर से उक्त आरोप का दिनांक 27.7.2016 को श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर को उपरोक्त अपील में दर्शाये गये तथ्यों अनुसार ही अपना संतोषजनक प्रत्युतर पेश किया था। उसके उपरान्त भी श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपीलान्ट को आरोप अनुसार दोषी मानते हुए परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने उक्त आरोप के सम्बन्ध में तहसीलदार ओसियॉ से अथवा जिला रसद कार्यालय से किसी प्रकार की जॉच अथवा टिप्पणी रिपोर्ट तलब नहीं की गई। अगर अपीलान्ट की उक्त कार्यावधि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी महोदय से टिप्पणी प्राप्त कर ली जाती तो सही वस्तुस्थिति सामने आ जाती। अपीलान्ट के द्वारा जिला रसद अधिकारी से दिनांक 8.3.116 को मध्यान्ह पश्चात कार्यमुक्त हुआ और तीन दिवस का कार्यग्रहण काल उपयोग करने के उपरान्त दिनांक 11.3.16 को तहसील कार्यालय ओसियॉ में उपस्थिती दे दी। तत्पश्चात जिला

रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 14.3.16 अनुसार पुनः जिला रसद अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिती दी और जिला कलेक्टर महोदय के प्रस्तावित निरीक्षण के क्रम में चार्ज हस्तान्तरण की निरन्तर कार्यवाही सम्पादित की थी जिस हेतु जिला रसद अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 14.3.16 से दिनांक 7.4.16 तक उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अपीलान्ट के द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति किसी प्रकार से कोई लापरवाही अथवा शिथिलता नहीं बरती है। अतः उपरोक्त तथ्यों पर सहानूभुति पूर्वक विचार करते हुए अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.10.2016 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का दोषमुक्त किया जावें।

8. हमने अपीलान्ट के द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया। विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर ने प्रेषित टिप्पणी में यह अंकित किया कि कार्मिक अपीलान्ट का स्थानान्तरण दिनांक 29.2.2016 को किया गया था एवं इन्हें दिनांक 8.3.2016 को कार्यमुक्त किया गया था, अपीलान्ट चाहता तो वह उक्त दिनांकों के मध्य की अवधि में अपना चार्ज हस्तान्तरण कर सकता था परन्तु उसके द्वारा कार्यभार नहीं सम्भलाया गया। तत्पश्चात कार्यग्रहण काल का उपभोग कर दिनांक 11.3.16 को स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर पुनः एक दिन बाद जिला रसद कार्यालय में चार्ज देने हेतु उपस्थित हो गया। तहसीलदार द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी तहसील कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ।

9. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट चार्ज हस्तान्तरण के बहाने दिनांक 14.3.16 से 7.4.16 तक कार्मिक जोधपुर में ही रहा। कार्यमुक्त होने से पूर्व इनके द्वारा अपना कार्यभार क्यों नहीं दिया और इनके द्वारा क्या–क्या कार्यभार दिया गया इसकी कोई जानकारी व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान नही दी। ऐसे में अपीलान्ट पर जो आरोप आरोपित किया था, वह उन पर प्रमाणित होने के कारण के परिनिन्दा से दण्डित किया है जो बहाल रखा जावें।

10. हमने अपीलान्ट की अपील एवं जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित टिप्पणी पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त यह पाया कि जिला कलेक्टर जोधपुर

द्वारा आदेश दिनांक 29.2.16 के द्वारा अपीलान्ट का स्थानान्तरण जिला रसद अधिकारी कार्यालय से तहसील कार्यालय ओसियॉ में कर दिये जाने पर अपीलान्ट दिनांक 8.3.2016 को जिला रसद कार्यालय से कार्यमुक्त होना प्रकट है। अपीलान्ट यदि प्रयास करते तो वह स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.2.2016 से दिनांक 8.3.2016 की अवधि में रसद कार्यालय में धारित कार्यभार अन्य कार्मिक को सम्भलाने की कार्यवाही सम्पादित कर सकता था। अपीलान्ट उसके द्वारा उक्त स्थानान्तरण अवधि में कार्यभार सम्भालने की कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त उसे कार्यभार सौपे जाने हेतु जिला रसद अधिकारी के द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.3.16 के द्वारा 02 दिवस हेतु कार्यालय में उपस्थिती देने हेतु बुलाया गया। परन्तु अपीलान्ट के द्वारा 02 दिवस से ज्यादा दिनांक 14.3.16 से 7.4.2016 की अवधि जोधपुर में ही व्यतित की जाना भी प्रकट है। अपीलान्ट के द्वारा इतनी लम्बी अवधि चार्ज सम्भालने हेतु उपभोग की जाना राजकार्य के प्रति शिथिलता बरती जाना ही माना जायेगा। अपीलान्ट दौरान सुनवाई इस सम्बन्ध में कोई संतोषजनक अभिकथन उल्लेखित नहीं कर पाये है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त हम यह समझते है कि जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.10.2016 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.10.2016 को बहाल रखा जाता है निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर